ÉnxÉÉBÉE 29 जुलाई, 2015 BÉEÉ =kÉ® ÉnA VÉÉxÉ BÉE ÉãÉA

vefjdk vkj ;jkih; l?k dk phuh d fu;kr dkVk lc/kh uhfr e ifjoru

962- Jh l[kUn 'k[kj jk;%

D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crku dh dik djx fd%

¼d½ D;k ljdkj }kjk viy] 2015 dk dh xb ?kk"k.kk d vulkj vefjdk vkj ;jkih; l?k dk phuh d fu;kr dkVk lc/kh uhfr e dkb ifjoru fd;k x;k g] ;fn gk] rk rRlc/kh C;kjk D;k g(

¼[k½ D;k bl lc/k e miHkkDrk ekey] [kk| vkj lkotfud forj.k e=ky; l ijke'k fd;k x;k Fkk(

¼x½ ;fn gk] rk ml e=ky; l bl lc/k e iklr mÙkj dk C;kjk D;k g(

¼?k½ vefjdk vkj ;jkih; l?k dk fu;kr d dkV l lcf/kr uhfr e ;fn dkb ifjoru fd, x, g rk mld D;k dkj.k g(

¼³½ phuh d ekl e d nkjku dkV d vrxr phuh dk fu;kr dju oky ;fn dkb fu;krd gk rk] mudk C;kjk D;k g(vkj

¼p½ D;k phuh m|kx dk ifjofrr uhfr] ;fn dkb gk] l vfrfjDr ykHk feyk g] ;fn gk] rk rRlc/kh C;kjk D;k g?

=kÉ®

Okkf.kT; ,o m|kx jkT; e=h ¼ Lor= iHkkj½

¼ Jherh fueyk lhrkje.k½

(क) सरकार ने दिनांक 20 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 3 के माध्यम से सीएक्सएल और टीआरक्यू कोटा के अंतर्गत यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को अधिमानी कोटा चीनी के निर्यात की अपनी नीति में संशोधन किया। यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को किए जाने वाले अधिमानी कोटा चीनी के निर्यात को "एसटीई" से "मुक्त" में डाल दिया गया।

(ख) और (ग) जी हाँ। वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय के प्रतिनिधियों के साथ 7 नबंवर, 2014 को एक अंतरमंत्रालीय बैठक आयोजित की गई थी, और इसके उपरांत अतिरिक्त सूचना जैसे मैसर्स आईएसईसी द्वारा रियायती कोटा के प्रचालन से अर्जित आय की राशि और इसे विशिष्ट रूप से चीनी के उद्योग के हित के लिए किस प्रकार उपयोग किया गया, विगत में इस कोटा के लाभानुभोगी कौन हैं आदि की जानकारी पर्याप्त समय देते हुए माँगी गई थी। तथापि, कई महीनों के अंतराल के बावजूद, वाणिज्य विभाग को मैसर्स आईएसईसी द्वारा अर्जित आय के बारे में कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) यूरोपीय संघ को अधिमानी कोटा चीनी का निर्यात डीजीएफटी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मात्रात्मक सीमा के अध्यधीन राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई) के जरिये किया जा रहा था। जनवरी, 2012 में, यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संघ में सीएक्सएल कोटा चीनी के निर्यातों के संबंध में अपनी नीति का उदारीकरण किया और परिणामस्वरूप भारत से निर्यात लाइसेंस की प्रस्तुति संबंधी अपेक्षा का परित्याग किया। नीति में इस बदलाव ने एक भारतीय नामित एजेंसी को प्राधिकृत करना निष्फल कर दिया, क्योंकि एक एसटीई का इस प्रकार नामांकन इसके उपरांत अनिवार्य नहीं रहा।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 से, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को चीनी के निर्यात हेतु अधिमानी कोटा का नामित एसटीई द्वारा इष्टतम उपभोग नहीं किया जा रहा था। जिसके परिणामस्वरूप देश को हानि हुई। इसी प्रकार, संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में, नामित एजेंसी द्वारा वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए क्रमश: 8227 मी. टन के अधिमानी कोटा में से चीनी का कोई निर्यात नहीं किया जा सका।

(ङ) और (च) चीनी के मौसम 2014-15 के दौरान कोटा के अंतर्गत निर्यात करने वाले निर्यातकों में मैसर्स पियोर डाइट्स इंडिया लि., मैसर्स सुमिंटर इंडिया आर्गेनिक, मैसर्स श्री रेनूका शुगर्स लि. शामिल थे। सरकार ने पूर्ण उपभोग, पारदर्शिता और व्यापार व्यवस्था के उदारीकरण की आवश्यकता के हित में जानते बूझते हुए प्रतिबंध शर्त को "एसटीई" से "मुक्त" में परिवर्तित करने का

निर्णय लिया। इसका लक्ष्य देश के रियायती चीनी निर्यात कोटा में सभी इच्छुक एवं पात्र चीनी औद्योगिकों/निर्यातकों को भागीदारी करने का एक समान अवसर प्रदान करना था।

****